

रेलवे के मामले में आरटीआई का उपयोग कैसे करें?

शब्दकोष

I. **केंद्रीय सूचना आयोग-** आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ख) में तहत परिभाषित। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

II. **सूचना -** धारा 2(च) "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

III. **लोक प्राधिकरण- 2 (ज) "लोक प्राधिकारी" से.**

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

IV. **सूचना का अधिकार- 2(ज) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है**

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

iv. डिस्कट फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना; (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत

V. **राज्य सूचना आयोग-** आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन लोक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

1. पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आरटीआई' के रूप में संदर्भित) सार्वजनिक प्राधिकरणों से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च)

और अधिनियम की धारा 2(ज) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत परिभाषित किया गया है। संबंधित अनुभाग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं-

सूचना- धारा 2(च) "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

लोक प्राधिकरण- 2(ज) "लोक प्राधिकारी" से-

- (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
- (ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
- (ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :
- (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,
 - i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;
 - ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

2. क्या रेलवे लोक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है?

भारतीय रेलवे का गठन रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत किया गया था जो कि भारत की संसद का एक अधिनियम है, इस प्रकार भारतीय रेलवे धारा 2 (छ) (ख) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और कानून द्वारा सूचना के लिए बाध्य है। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत जानकारी उपलब्ध है।

धारा 4(1)(ख) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है-

"धारा 4(1) - प्रत्येक लोक प्राधिकारी

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं .युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-

- i. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;
- ii. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

- iii. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
- iv. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;
- v. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
- vi. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण :
- vii. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;
- viii. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के .जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं . जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण .;
- ix. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;
- x. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;
- xi. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:
- xii. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;
- xiii. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया ;
- xiv. किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके । द्वारा धारित हों;
- xv. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;
- xvi. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;
- xvii. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

भारतीय रेलवे निम्नलिखित अनुभाग के तहत एक पीआईओ को नामित करने के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत है:

धारा 5(1)-प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

3. हाल के दिशानिर्देश -

आरटीआई मामलों को तेजी से निपटाने के लिए रेल मंत्रालय ने 2019 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसका एक अंश का अनुवाद नीचे सूचीबद्ध है-

“2. बोर्ड (सीआरबी और एमटी) द्वारा मामले की समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से निम्नलिखित प्रक्रिया का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए:

- i. सभी निदेशालय सभी लंबित आरटीआई मामलों की गंभीरता से निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर इनका तेजी से और उचित रूप से निपटारा किया जाए।
- ii. नोडल आरटीआई अधिकारी। आरटीआई प्रकोष्ठ, रेलवे बोर्ड सीपीआईओ लंबित मामलों की मासिक सूची तैयार करेगा। जहां कहीं जरूरी हो, ईडीपीजी निपटान में तेजी लाने के लिए संबंधित एफएए और एएम को एक नोट भेजेगा।
- iii. जहां ऐसी कार्रवाई और सूचना साझा करने के बावजूद किसी कार्यालय से कार्रवाई नहीं हो रही है, चूक करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर मासिक आधार पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और रिपोर्ट ईडीपीजी को भेजी जाएगी।
- iv. 2017 के अधिकारी आदेश संख्या 75 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार सभी विवादित आरटीआई मामलों का निपटारा किया जाएगा।
- v. उन मामलों के लिए जहां आरटीआई आवेदन एक से अधिक पीआईओ से संबंधित है, 2010 के अधिकारी आदेश संख्या 27 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा, जो इसे संसद के संचालन के समान तरीके से निपटने के लिए अनिवार्य करता है।
- vi. स्थानांतरण के किसी भी मामले में मामले को किसी विशेष विभाग में स्थानांतरित करने के लिए वैध कारण दर्ज होने चाहिए और प्राप्तकर्ता अधिकारी के समझौते के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। केवल "मामला इस विभाग से संबंधित नहीं है" रिकॉर्ड करना पर्याप्त नहीं होगा।
- vii. एफएए यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर, आरटीआई का प्रभार उपयुक्त रूप से सौंप दिया गया है।
- viii. सभी लंबित मामलों या 01.04.2019 को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए। अब तक, सभी विभागों को मिलाकर 7881 मामले 30 दिनों से अधिक लंबित हैं। यदि ऐसे मामले हैं तो एफएए को सचिव, रेलवे बोर्ड को समेकित स्थिति रखने के लिए ईडीपीजी को मामलावार टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

4. मांगी गई जानकारी

केंद्रीय सूचना आयोग के अनुसार रेलवे के संबंध में सबसे अधिक मांगी जाने वाली जानकारी नीचे सूचीबद्ध है-

(क)सेवा मामले - नियुक्ति, सेवा पुस्तिका, विभागीय परीक्षा, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, वेतन निर्धारण, बकाया, एसीआर, एपीएआर, पेंशन मामले आदि।

(ख)निविदा से संबंधित मामले - निविदा और अनुबंधों का पुरस्कार (निर्माण और ओपन लाइन),

(ग)रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) - अंक, कट-ऑफ अंक, उत्तर पुस्तिका / उत्तर कुंजी की प्रति, भर्ती, रिक्तियों का विवरण आदि।

(घ)व्यक्तिगत विवरण (तृतीय पक्ष की जानकारी) - वेतन, संपत्ति, परिवार का विवरण, कर्मचारी विवरण, चिकित्सा स्थिति, तीसरे पक्ष (कर्मचारी) का सेवा विवरण आदि।

(ङ)यात्रा संबंधी मामले - आरक्षण, ई-टिकट की वापसी, यात्री सुविधाएं और सेवाएं आदि।

(च)दावा और मुआवजे से संबंधित मामले - माल / पार्सल की प्राप्ति न होने के दावे, दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं के लिए मुआवजा, अनुग्रह राशि आदि।

(छ)सतर्कता जांच/डीएआर मामलों से संबंधित सूचना।

(ज)आवेदक द्वारा अभ्यावेदन/पत्रों/शिकायतों पर की गई कार्रवाई।

(झ)ट्रेनों का रुकना, रूट का मामला बदलना, ट्रेनों का समयपालन।

(ञ)भूमि अधिग्रहण आदि के लिए भुगतान/रोजगार सहित सर्वेक्षण और भूमि संबंधी मुद्दे।

5. द्वितीय अपील

भारतीय रेलवे, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यदि कोई पक्ष एफएए के निर्णय से व्यथित है, तो उसे केंद्रीय सूचना आयोग को दूसरी अपील भेजनी चाहिए।

6. हाल ही हुए विकास

(क) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने यह दावा करते हुए सूचना से इनकार किया था कि (अनुवादित) "कॉर्पोरेट निकाय और न्यायिक व्यक्ति अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तदनुसार यह फैसला दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट निकाय के प्रतिनिधि के रूप में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के लिए आवेदन करता है, तो वह अधिनियम के तहत सूचना का हकदार नहीं है।" हालांकि, सीआईसी ने यह कहते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया कि सीपीआईओ की याचिका विचारणीय नहीं है।

निर्णयों की एक श्रृंखला में आयोग ने यह माना था कि जब तक उक्त आरटीआई आवेदन पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं जो भारत का नागरिक है, तब तक इस तरह के आवेदन को दायर करने की क्षमता के बावजूद, यह वैध होगा।

(ख) हाल ही में अक्टूबर'2021 में, एक आरटीआई आवेदन से पता चला कि भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के लिए तिमाही 2 में आय में 113% की वृद्धि दर्ज की।

(ग) माननीय सीआईसी ने पहले माना है कि आरटीआई आवेदन के तहत उल्लिखित पीएनआर नंबर के संबंध में यात्रा की स्थिति मांगी जा सकती है। सूचना को निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटाने की आवश्यकता है।

(घ) रेलवे से कॉपियों की खरीद के लिए फीस के भुगतान के संबंध में एक दिलचस्प सवाल ने आवेदकों को भारी मात्रा में फीस देकर लगातार धमकी दी है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.12.2011 के पत्र के अनुसार, आवेदक को रु. आरक्षण चार्ज प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 1,000 रुपये प्रति प्रश्न जमा करने थे, जबकि आरटीआई (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम 2005 रुपये 2 प्रति प्रश्न जमा करना होता है।

इसी तरह के मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था जहां कंपनी सचिव संस्थान रुपये चार्ज कर रहा था। एक प्रमाणित उत्तर प्रति के लिए रु 500 और निरीक्षण के लिए रु 450, इसके विपरीत आरटीआई नियम केवल 2 रुपये प्रति पृष्ठ का प्रावधान करता है।

सीआईसी ने अपने पत्र और 2005 के आरटीआई नियमों के अनुसार रेलवे द्वारा भारी शुल्क की मांग के बीच एक अपील का फैसला करते हुए उपरोक्त लंबित मामले पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों तक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिया।

अंत में, 11.04.2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक आवेदक को मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। यदि आवेदक आईसीएसआई के माध्यम से आवेदन करना चाहता है, तो उसे आईसीएसआई द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा, साथ ही आरटीआई अधिनियम के तहत प्रतियां प्राप्त करने का विकल्प खुला है, जिसके साथ आरटीआई नियम, 2005 लागू होगा।

इसलिए, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकों को फीस पर राहत दी गई थी यदि वे आरटीआई अधिनियम द्वारा जाना चाहते हैं।

आरटीआई आवेदन

31 अक्टूबर 2021

प्रति,
जन सूचना अधिकारी,
भारतीय रेलवे, मध्य रेलवे
मुंबई, भारत

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है। कृपया प्रस्तुत करें:

- (क) मुंबई रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाली ट्रेनों की संख्या
- (ख) उन ठेकेदारों की सूची जिन्हें मुंबई रेलवे स्टेशन के रखरखाव और सौंदर्यीकरण का कार्य सौंपा गया है।
- (ग) मुंबई रेलवे स्टेशन और ठेकेदार के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति।
- (घ) मुंबई रेलवे स्टेशन के रखरखाव के लिए आवंटित बजट।
- (ङ) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेंट्रल जोन द्वारा एकत्रित कुल राजस्व।

भवदिय

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले

1. जरूरत पड़ने पर धारा 5 (3) के अंतर्गत " युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें
2. यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें।